न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 124/2019

1.रामस्वरुप पुत्र दुर्जन जाति मीना निवासी कुण्डल तहसील व जिला दौसा

...अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, सैंथल जिला दौसा

...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 15.01.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामस्वरूप मु0नं0 481/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1.श्री योगेश जाकड., अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री भानू प्रताप सिंह, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 16.03.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 15.01.2019 को ग्राम कुण्डल तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1048 कुल रकबा 0.93 है0 किस्म सिवायचक मे से 0.05 है0 भूमि पर संवत 2075 में पुख्ता मकान व बाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा किसी भी सिवायचक भूमि पर बाउण्ड्री व मकान बनाकर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का ने अपीलांट के समक्ष भूमि का मौका देखे बिना मौका रिपोर्ट बनाई गई हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का मौका भी नही दिया गया। अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर कैफियत मे पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत संलग्न रिपोर्ट धारा 91 पर राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं0 1048 रकबा 0.05 है0 पर पुख्ता मकान व बाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी

किया गया है। नोटिस की तामील पर अपीलांट के पुत्र के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट का पुत्र नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया है। अतःअपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिचार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय सिवायचक भूमि पर पुख्ता मकान व बाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 15.01.2019 द्वारा बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा